चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांक : पी0ए0/2625
दिनांक : 13.03.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
(समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/छात्र कल्याण अधिष्ठाता/चीफ वार्डन)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषयः– राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस (COVID-19)से बचाव हेतु परामर्श/एडवाइजरी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शासन के पत्र संख्या–सत्तर–3–2020–08(20)/2020 दिनांक 13 मार्च, 2020 संख्या–806/सत्तर–3–2020 दिनांक 12 मार्च, 2020 एवं निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0 के पत्रांकः–डिग्री विकास/4775/2019–20 दिनांक 12.03.2020 जो कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस (COVID-19) से बचाव हेतु परामर्श/एडवाइजरी के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षण संस्थाओं को 22 मार्च, 2020 तक बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा दिये गये निर्देश एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/परिसर में करोना वाइरस (COVID-19) को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षण संस्थाओं को 22 मार्च, 2020 तक के लिए बन्द किया जाता है, किन्तु पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाओं सहित समस्त परीक्षायें यथावत चलती रहेगी।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

13-03-2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
03. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
04. समस्त उपकुलसचिव/सहा0 कुलसचिव/कार्या0 अधीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. प्रभारी वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः– /सत्तर–3–2020–08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा,
   उ0प्र0, प्रयागराज
2. **कुलपति**
   समस्त निजी विश्वविद्यालय
   उत्तर प्रदेश।
3. **कुल सचिव**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिक**
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2020**

विषयः– राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस(COVID-19) से बचाव हेतु परामर्श/एडवाइजरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी नोवेल करोना वाइरस **(COVID-19)** के एडवाइजरी को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–806/सत्तर–3–2020, दिनांक 12 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न एडवाइजरी के बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नवत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में परीक्षाये चल रही है, वे परीक्षाये यथावत् चलती रहेगी। परन्तु जहाँ परीक्षायें नही चल रही है, वह सारे शिक्षण संस्थायें 22 मार्च, 2020 तक बन्द रहेगें।

(2) परीक्षा कराने से पूर्व कक्षाओं के डोर नॉब, स्विच तथा हैड रेलिंग तथा मेज अथवा कुर्सी को एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर से साफ कराया जाय।

(3) बाथरूम को साफ सुथरा रखा जाय तथा साबुन/अल्कोहल बेस्ड सेनेटाइजर तथा जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(4) कक्षा में टिसू पेपर रखे जाय तथा यूज्ड टिसू पेपर को निस्तारित करने के लिए पेडल बिन वाले प्लास्टिक बैंग कक्षाओं में रखे जाय।

भवदीय,
13/3
(मोनिका एस गर्ग)
प्रमुख सचिव।

R.O. Rai/Srp c